

क्यापली पेका इ/ ^{उपरी} ~~क्यापली~~ एक विपरीत
 वकील उपस्थित है। उपरीकरण के अधिवक्ता
 द्वारा उपरीणा पर अनधिकृत धारा 212 Cr.P.C में
 NOT Press करते हुये उपकरण में आगे कार्यवाही
 नहीं चालने से मुझे इस उपकरण में आगे
 कोई कार्यवाही नहीं चालने उपकरण को
 स्वीकार्य करमाया जाये। एवं पूर्व में जारी
 स्थापना के निरस्त करवाने का विवेक
 विपरीत गण उपरी मन्वयान लाल व उपरी
 अधिवक्ता ने।

उपरी मन्वयान लाल व उपरी वकील
 द्वारा विपरीत गण NOT Press के आधार
 पर उपकरण में आगामी कार्यवाही नहीं
 चालने से स्थापना लाल द्वारा पूर्व में
 दिनांक 23/11/2022 को जारी अधिवक्ता निवेदन
 का स्थापना आदेश निरस्त किया जाता
 है। उपकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं
 चालने से उपकरण स्वीकार्य विपरीत गण है।
 उपकरण इसी स्तर पर केवल स्थापना
 लेका गया कि कदम है।

सायक कान्हा
 (स.जी.ओ.) प्रमपु

Next p
 मन्वयान
 (L)